

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-8/2023/

दिनांक:-

—:आदेश:—

निम्न अभ्यर्थियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020 एवं 1102, 1361 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/2022/351 दिनांक 23.03.2022, 386 दिनांक 30.03.2022, 226 दिनांक 31.08.2022 एवं 253 दिनांक 13.09.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26,300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की कार्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है।	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लीला	सिरोही	10.10.1992	02.05.2020	—	01.05.2022	02.05.2022
2.	सुप्यार	सिरोही	10.10.1994	02.05.2020	—	01.05.2022	02.05.2022
3.	शान्ति	सिरोही	06.09.1989	08.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
4.	परमेश्वरी	सिरोही	07.05.1987	08.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
5.	संतोष	सिरोही	01.07.1995	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022
6.	सीमा मीणा	सिरोही	08.11.1991	01.05.2020	—	30.04.2022	01.05.2022
7.	सुभिता	सिरोही	05.02.1983	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022
8.	मंजू पुनिया	सिरोही	30.06.1992	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022
9.	द्रोपदी मेघवाल	सिरोही	05.06.1992	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022
10.	शारदा मेघवाल	सिरोही	07.06.1994	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-29 पार्ट-8/2023/12)

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक:-

2/3/23

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर